

दिनांक 25.03.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ निगम के उडनदस्ता दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल का उपयोग, विक्रय करने वाले तथा कचरा फैलाने वाले 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर 15 हजार रुपये की वसूली किया है।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उडनदस्ता दल निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सड़क पर विक्रय वस्तु रखकर यातायात को बाधित करने वाले, सड़क पर कचरा फैलाने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले, कचरा डालकर नाली जाम करने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उडनदस्ता दल ने जवाहर नगर स्थित देशी मदिरा दुकान में छापामार कार्यवाही कर दुकान के आसपास लगे ठेले, खोमचे वालों के पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल, गिलास पाया गया जिसकी जब्ती बनाकर अर्थदण्ड वसूला गया। दल रिसाली मार्केट में जांच कर गुमास्ता लायसेंस के बिना व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ तथा सड़क पर कचरा फैलाने वालों लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुल 10 लोगों से 15 हजार रुपये वसूल किया गया।

कार्यवाही में उडनदस्ता दल के प्रभारी अधिकारी व्ही.के. सामुएल के साथ उनकी टीम उपस्थित रहें।

जनसम्पर्क अधिकारी

